न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 119/17

संस्थित दिनाँक-30.03.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

. राब्बीर पुत्र प्रीतमशाह उम्र ४० साल निवासी पिपरसाना थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०**अभियुक्त**

<u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 28.07.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 289 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.03.17 को 8 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत ग्राम पिपरसाना स्थित अपने घर के सामने अपने कब्जे के पालतू जीव कुत्ते की ऐसी व्यवस्था जो उसके द्वारा फरियादी जनवेद बाथम को अधिसंभाव्य संकट उसे काटने से बचाने के लिए प्याप्त हो, उसका जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक लोप किया जिसके फलस्वरूप आपके पालतू कुत्ते द्वारा फरियादी जनवेदन को काटकर उसे उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 294 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 289 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 12.03.17 को सुबह 8 बजे फरियादी जनवेद अपने टयूबबैल से घर तरफ आ रहा था। अभियुक्त के दरवाजे के सामने पहुंचा इतने में अभियुक्त के पालतू कुत्ते ने उसके बांए पैर की पिण्डली में काट लिया अभियुक्त वहां बैठा था। जब फरियादी ने उससे कहांकि पालतू कुत्ता तुम्हारा है तो अभियुक्त उसे गाली देने लगा और मारपीट पर आमादा हो गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क०—49/17 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्त को गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.03.17 को 8 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत ग्राम पिपरसाना स्थित अपने घर के सामने अपने कब्जे के पालतू जीव कुत्ते की ऐसी व्यवस्था जो उसके द्वारा फरियादी जनवेद बाथम को अधिसंभाव्य संकट उसे काटने से बचाने के लिए प्याप्त हो, उसका जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक लोप किया जिसके फलस्वरूप आपके पालतू कुत्ते द्वारा फरियादी जनवेदन को काटकर उसे उपहित कारित क?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जनवेद अ०सा० 1, धर्मवीर अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी जनवेद अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्त को जानते हैं। घटना से 3—4 महीने पहले जब वे अपने टयूब बैल से घर आ रहे थे तो अभियुक्त के घर के सामने आवारा कुत्ते ने काट लिया, जब उसने पुकार लगाई तो कोई बचाने नहीं आया। बाद में गली के लड़कों ने बताया कि कुत्ता अभियुक्त का पालतू हैं इसके आधार पर रिपोर्ट करना बताता है। साक्षी ने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा कथित कुत्ते को अधिभाव्य संकट उसे काटने से बचाने के लिए जो प्याप्त होता उसकी जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक लोप करने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कथन न किए जाने से अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषितकर उससे सूचक प्रश्न में सुझाव दिया गया कि अभियुक्त वहां बैठकर घटना देख रहा था और उसने फरियादी को गालियां दी तो साक्षी उक्त सुझाव से इंकार करता है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त के उपस्थित होने और कुत्ते द्वारा काटने की शिकायत करने पर गालियां दिए जाने के संबंध में एवं मारपीट के लिए आमादा हो जाने के संबंध में तथ्य लेख कराए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करता है। पुलिस कथन प्र०पी० 2 में भी उक्त तथ्यों को लेख कराए जाने से इंकार करता है।
- 8. प्रकरण में घटना का कथित चक्षुदर्शी धर्मवीर अ०सा० 2 के रूप में परीक्षित कराया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि 3—4 महीने पहले अभियुक्त के घर के पास से गुजर रहा था तब अभियुक्त के घर के सामने फरियादी जनवेद को आवारा कुत्ते ने काट लिया था। साक्षी यह

भी बताता है कि उसने उक्त कुत्ते को भगाया और घर चला गया और फरियादी जनवेद भी अपने घर चले गए थे। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में सुझाव दिया गया कि अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होकर अपने पालतू कुत्ते को उपेक्षा पूर्वक या जानबूझकर फरियादी जनवेद के प्रति उत्पन्न हुए संकट से बचाने के लिए प्याप्त होने वाले उपाय का लोप करते हुए अभियुक्त द्वारा उसे ''छू'' करते हुए उत्प्रेरित किया हो, उक्त सुझावों से साक्षी द्वारा इंकार किया गया।

- 9. उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में कोई भी ऐसा तथ्य प्रमाणित नहीं हैं कि अभियुक्त द्वारा जानबूझ कर या उपेक्षा पूर्वक फरियादी जनवेद को कथित कुत्ते से काटने से बचने के लिए उपाय का लोप किया हो। इसी साक्षी ने न तो अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति का कथन किया है न हीं अभिकथित कुत्ते का अभियुक्त का पालतू होने के संबंध में कोई कथन किया है। फरियादी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उक्त काटने वाले कुत्ते के संबंध में स्वयं आवारा कुत्ते द्वारा काटने का कथन किया है। गली के लडकों द्वारा उसे कथित कुत्ता अभियुक्त का पालतू होना बताए जाने का कथन किया गया है ऐसी दशा में सर्वप्रथम तो यह स्थापित नहीं हैं कि फरियादी को काटने वाला कुत्ता अभियुक्त का पालतू था और दूसरा यह कि अभियुक्त ने ऐसे पालतू जीव कुत्ते की ऐसी व्यवस्था जो किसी व्यक्ति को या फरियादी को काटने से बचाने के लिए पर्याप्त होती, का जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक लोप किय हो।
- 10. अभियोजन का यह तर्क है कि फरियादी द्वारा राजीनामा कर लिया है इस कारण से वह अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। फरियादी ने राजीनामा के कारण अभियुक्त से मिल जाने के तथ्य से इंकार किया है। जहां तक रिपोर्ट प्र0पी0 1 व कथन प्र0पी0 2 व 3 का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग केवल साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अधीन खण्डन में विरोधाभास अथवा लोप को प्रमाणित किए जाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य नहीं हैं कि उसने दिनांक 12.03.17 को 8 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत ग्राम पिपरसाना स्थित अपने घर के सामने अपने कब्जे के पालतू जीव कुत्ते की ऐसी व्यवस्था जो उसके द्वारा फरियादी जनवेद बाथम को अधिसंभाव्य संकट उसे काटने से बचाने के लिए प्याप्त हो, उसका जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक लोप किया जिसके फलस्वरूप आपके पालतू कुत्ते द्वारा फरियादी जनवेदन को काटकर उसे उपहित कारित की। अतः अभियुक्त धारा 289 भादस्त से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11. अभियुक्त की जमानत भारमुक्त की जाती है। उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM PRICION SUNT

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश